



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 523]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 3, 2014/फाल्गुन 12, 1935

No. 523]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 3, 2014/PHALGUNA 12, 1935

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2014

का.आ. 612(अ).—जबकि भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1956 (1956 का 102) (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 20 की उप-धारा (1) के उपबंध के अनुपालन में केंद्र सरकार, परिषद के सदस्यों में से भारतीय चिकित्सा परिषद (इसके बाद परिषद के रूप में संदर्भित) की एक स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा समिति (इसके बाद स्नातकोत्तर समिति के रूप में संदर्भित) गठित कर सकती है ।

और जबकि अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) के उपबंध के अनुपालन में स्नातकोत्तर समिति में नौ सदस्य होंगे जिनमें से सभी को स्नातकोत्तर चिकित्सा अर्हताएं तथा मेडिसिन के स्नातकोत्तर छात्रों को पढ़ाने एवं उनकी परीक्षा लेने का अनुभव होगा ।

और जबकि अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (3) के उपबंध के अनुपालन में डॉ. ध्रुव ज्योति बोरा, डॉ. दिलीप गोविंद राव मैसेकर तथा डॉ. रानी भास्करन को परिषद के सदस्यों में से परिषद द्वारा परिषद की स्नातकोत्तर शिक्षा समिति के सदस्यों के रूप में निर्वाचित किया गया है ।

अतः अब अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (1) एवं (3) के अनुपालन में केंद्र सरकार एतद्वारा इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से चार वर्ष की अवधि के लिए स्नातकोत्तर समिति का गठन करती है, जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे, नामतः—

केंद्र सरकार द्वारा मनोनीतः—

1	डॉ. सिल्वानो सी ए डियास सपिको	प्रोफेसर एवं मुख्य, फोरेंसिक मेडिसिन विभाग, गोवा मेडिकल कॉलेज, गोवा
2	डॉ. दत्तेश्वर होता	प्रोफेसर एवं एच ओ डी, यूरोलॉजी विभाग, एस सी बी एम सी एच, कटक
3	डॉ. पुत्ता श्रीनिवास	प्रोफेसर ऑफ डी वी एल, प्रिंसिपल, उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, हैदराबाद
4	डॉ. के एस शर्मा	डायरेक्टर एकेडमिक, टाटा मेमोरियल सेन्टर, मुंबई
5	डॉ. राजा बाबू पंवर	वाइस-चांसलर, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जयपुर

भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्वाचित :-

1	डॉ. ध्रुवा ज्योति बोरा	प्रिंसिपल एवं मुख्य चिकित्साधिक्षक, जोरहाट मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, स्वाहिद कुशल कुंवर पथ, पी ओ-बारभेटा, जोरहाट- 785001
2	डॉ. दिलीप गोविंदराव मेशेकर	प्रोफेसर एवं एचओडी, ट्यूबरकुलोसिस एवं रेसपिरेटरी विभाग, डॉ. सकाराव चवन गर्वनमेंट मेडिकल कॉलेज, वजीराबाद, महाराष्ट्र
3	डॉ. रानी भास्करण	प्रेसिडेंट ट्रावनकोर-कोचीन मेडिकल काउंसिल, तिरुवनंतपुरम, केरल

[सं. वी. 11013/5/2013-एम ई पी -1]
डॉ. विश्वास मेहता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2014

S.O. 612(E).—Whereas in pursuance of the provision of sub-section (1) of section 20 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) (hereinafter referred to the Act), the Central Government may constitute from among the members of the Council a Post-graduate Medical Education Committee (hereinafter referred to as the Post-graduate Committee) of the Medical Council of India (hereinafter referred to as the Council).

And whereas in pursuance of the provision of sub-section (2) of section 20 of the Act, the Post-graduate Committee shall consist of nine members all of whom shall be persons possessing post-graduate medical qualifications and experience of teaching or examining post-graduate students of medicine.

And whereas in pursuance of the provision of sub-section (3) of section 20 of the Act, Dr. Dhruva Jyoti Borah, Dr. Deelip Govindrao Mhaisekar and Dr. Rani Bhaskaran have been elected by the Council from amongst its members to be Members of the Post-graduate Committee of the Council.

Now, therefore, in pursuance of sub-sections (1) and (3) of section 20 of the Act, the Central Government hereby constitutes the Post-graduate Committee consisting of the following members of the Council for a period of four years from the date of issue of this notification, namely :—

NOMINATED BY THE CENTRAL GOVERNMENT

- (1) Dr. Silvano C.A. Dias Sapeco
Professor and Head,
Department of Forensic Medicine,
Goa Medical College, Goa
- (2) Dr. Datteswar Hota,
Professor & HOD,
Urology Department,
SCB MCH, Cuttack
- (3) Dr. Putta Srinivas,
Professor of DVL,
Principal, Osmania Medical College,
Hyderabad
- (4) Dr. K.S. Sharma,
Director Academics,
Tata Memorial Centre,
Mumbai
- (5) Dr. Raja Babu Panwar
Vice-Chancellor,
Rajasthan University of Health Sciences
Jaipur

ELECTED BY THE MEDICAL COUNCIL OF INDIA

- (1) Dr. Dhruba Jyoti Borah
Principal-cum-Chief Superintendent,
Jorhat Medical College & Hospital,
Swahid Kushal Kunwar Path,
P. O. Barbheta, Jorhat – 785 001
- (2) Dr. Deelip Govindrao Mhaisekar
Professor & HOD,
Deptt. of Tuberculosis & Respiratory,
Dr. Shakarrao Chavan Govt. Medical College,
Vazirabad, Maharashtra
- (3) Dr. Rani Bhaskaran
President,
Travancore-Cochin Medical Council,
Thiruvananthapuram, Kerala

[No. V.11013/5/2013-MEP-I]

Dr. VISHWAS MEHTA, Jt. Secy.